कृषि उपज मण्डी समिति, सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015

भाग–एक

1. प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधोगिक उपज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति सोलन जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि 2014–2015 के दौरान मण्डी समिति, सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री रमेश ठाकुर	अध्यक्ष	1.4.2014 से 31.3.2015
2	डा० भानु शर्मा	सचिव	1.4.2014 से 9.4.2014 5.6.2014 से 8.7.2014 12.8.2014 से 31.3.2015
3	श्री रमेश ठाकुर	सचिव	10.4.2014 से 4.6.2014 9.7.2014 से 12.8.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

कृषि उपज मण्डी समिति सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 में सम्मिलित ऑडिट पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	डिपोजिट वर्कस से सम्बन्धित दी गई अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	5(ख)	82.19
2	आयकर विभाग के नाम राशि असमायोजित दर्शाना	8	145.42
3	सर्विस टैक्स असमायोजित दर्शाना	9	21.05
4	कारोबारियों द्वारा नियमों का उलंघन करने के बावजूद भी उनके पंजीकरण को निरस्त न करना	10	16.87
5	कृषि उपज समिति, सोलन में विभिन्न दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की समय पर नीलामी न करने के कारण समिति को हो रही हानि के बारे	12	विवरण पैरे में दिया गया है
6	दुकानों के किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	13	45.11
7	टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आबंटित दुकानों से पट्टे की वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	14	9.38
8	मण्डी शुल्क की राशि की कम वसूली करना	15(क)	2.51

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति संलग्न **परिशिष्ट–''क''** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियाँ शामिल है, जिन पर शीघ्र कार्यवाही करके वसूली करने के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी निपटारा करवाया जाए।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

मण्डी समिति सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री राम सिंह चौहान (अनुभाग अधिकारी), श्री पुनीश सागर (अनुभाग अधिकारी), श्री राकेश कुमार चौहान (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) तथा श्रीमती ममता रावल (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया था।

3. अंकेक्षण शुल्क

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों तथा लेखा परीक्षकों का वित्त वर्ष 2014–2015 का अंकेक्षण शुल्क ₹13,64,421 आंका गया, जिसे मण्डी समिति द्वारा चैक संख्याः 446541 दिनांक 23.1.2016 (पी0एन0बी0) द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत मण्डी समिति की वर्ष 2014–2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट–''ख''** पर भी दिया गया है।

दिनांक 1.4.2014 को आरम्भिक शेष	
रोकड़ तथा बैंक में शेष	12,56,81,789.88
बाऊंसड चैकस	13,17,936.00
कुल योग	**12,69,99,725.88**
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (परिशिष्ट–''ख'')	8,91,67,333.03
कुल योग	**21,61,67,058.91**
वर्ष के दौरान भुगतान (परिशिष्ट–''ख'')	3,52,66,802.00
31.3.2015 को अन्तिम शेष	18,09,00,256.91
रोकड़ तथा बैंक में शेष	17,92,13,059.91
वाऊंसड चैकस	16,87,197.00
कुल योग	**18,09,00,256.91**

अन्तिम शेष का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	विवरण	राशि
1	विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा राशि (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	42,36,710.91
2	सावधि जमा में निवेश (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	17,49,75,849.00
3	हस्तगत शेष (**परिशिष्ट–''ख''** के अनुसार)	शून्य
4	स्थाई अग्रिम	500.00
	कुल योग	**17,92,13,059.91**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

मण्डी समिति सोलन की विभिन्न बैंक खातों की दिनांक 31.3.2015 को बैंक समाधान विवरणीका का विवरण **परिशिष्ट–''ख''** में दिया गया है।

(ग) निवेश

मण्डी समिति, सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण **परिशिष्ट–''ख''** में दिया गया है। मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न बैंकों में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 23 खाते खुलवा रखे थे। यह खाते कॉपरेटिव, राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों में थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सरप्लस फण्डस का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–आई0एफ(ए)1–68/91–v, फाईनैंस डिपार्टमैंट (आई0एफ) शिमला–171002, दिनांक 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 अग्रिम

(क) अग्रिम ₹1.43 लाख का समायोजन न किए जाने बारे

अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा बार–बार आग्रह किए जाने के बावजूद निम्नानुसार कई अग्रिम राशियाँ जोकि पिछले वर्षों से सम्बन्धित है के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए जोकि एक गम्भीर अनियमिता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शीघ्र इन अग्रिम राशियों का समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	दिनांक	बिल संख्या	विवरण	राशि
1	19.4.2011	43	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2,000
2	23.9.2011	291	पैट्रोल हेतु	5,000
3	1.11.2011	375	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2,000
4	6.2.2013	449	शासकीय डाक टिकटों हेतु	1,000
5	21.2.2013	483	शासकीय डाक टिकटों हेतु	1,000
6	17.12.13	421	फॉर्म्स की लोडिंग अनलोडिंग हेतु	10,000
7	15.7.2014	158	बिजली एवं पानी की लाईंस की छोटी मोटी मुरम्मत, नालियों की सफाई आदि हेतु	25,000
8	31.10.2014	353	वाहन के बीमें हेतु	19,440
9	27.11.2014	409	शासकीय डाक टिकटों के क्रय हेतु	1,000

10	20.1.2015	504	नये साल के कलैण्डर तथा डायरी आदि के क्रय हेतु	7,000
11	26.3.2015	642	ट्रेनिंग हेतु	10,000
12	26.3.2015	643	ट्रेनिंग हेतु	60,000
			कुल योग	**1,43,440**

(ख) डिपोजिट वर्कस से सम्बन्धित दी गई अग्रिम ₹82.19 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को निम्नविवरणानुसार ₹82,18,863 हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों के पास असामायोजित दर्शाई गई है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र बोर्ड तथा अन्य विभागों से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करके इन राशियों का समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस राशि के समर्थन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाऐं।

संस्थान का नाम जिसे डिपोजिट वर्क्स की अग्रिम राशि दी गई थी	जितनी राशि दिनांक 31.3.15 को असमायोजित थी	
हि0प्र0 विपणन बोर्ड	66,21,098.00	**परिशिष्ट–''ख''**
डिपोजिट वर्क परवाणु (HPSEB Electrical Division)	7,91,350.00	(टिप्पणीः इस सम्बन्ध में समिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन 2013–14 की पैरा संख्याः 5 द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, परन्तु समिति ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है)
डिपोजिट वर्क, परवाणु (HIMUDA)	1,83,695.00	
डिपोजिट वर्क, सोलन (HPSEB Electrical Division)	2,65,020.00	
डिपोजिट वर्क, सोलन (Irrigation & Public Health Department)	3,57,700.00	
कुल योग	**82,18,863.00**	

6 पूर्वांकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹0.34 लाख की कटौतियों के बारे में

मण्डी समिति सोलन द्वारा अवधि 2014–2015 में प्रस्तुत बिलों में से पूर्व अंकेक्षण के समय ₹34,355 की कटौतियां विभिन्न बिलों से की गई हैं। अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं के बारे में समिति को अवगत करवा कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिससे संस्था के लाखों रुपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि से रोका गया है। इससे अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलों में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों का समय–समय पर सही मार्ग दर्शन भी दिया गया है।

7 विपणन बोर्ड की देय मण्डी शुल्क की ₹60.05 लाख के बारे में

मण्डी समिति के तुलन पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को मण्डी शुल्क की ₹60,05,494 विपणन बोर्ड को देय दर्शाई गई थी। मण्डी समिति द्वारा बोर्ड को यह राशि बिल संख्याः 37, दिनांक 27.4.2015 के अन्तर्गत प्रेषित कर दी थी, परन्तु इस सन्दर्भ में बोर्ड द्वारा जारी रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बोर्ड से रसीद प्राप्त करके इसे पुष्टि हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 आयकर विभाग के नाम असमायोजित ₹145.42 लाख का दर्शाया जाना

मण्डी समिति के वर्ष 2014—2015 के तुलन पत्र के अनुसार आयकर विभाग को दी गई ₹1,45,41,808 असमायोजित दर्शाई गई है। इस प्रकरण में अंकेक्षण द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि समय—समय पर आयकर विभाग द्वारा मण्डी समिति की आय पर लगाये गए आयकर के भुगतान से सम्बन्धित है। उक्त राशि में मण्डी समिति द्वारा देय तिथि तक आयकर की रिटर्न दाखिल न करने के कारण भुगतान की गई जुर्माने की ₹32,40,779 भी सम्मिलित थी, जिसे आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के मध्यनजर वर्ष 2012—13 के दौरान मण्डी समिति को वापिस (refund) भी कर दिया गया था। आयकर विभाग को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	वित्त वर्ष	आयकर विभाग को अदा की गई राशि	आयकर विभाग द्वारा वापिस की गई राशि	आयकर विभाग को अदा की गई राशि का संचित योग
1	2006—07	44,10,343.00	———	44,10,343.00
2	2007—08	————	———	44,10,343.00
3	2008—09	48,30,550.00	———	92,40,893.00
4	2009—10	77,94,061.00	———	1,70,34,954.00
5	2010—11	———	———	1,70,34,954.00
6	2011—12	———	32,40,779.00	1,37,94,175.00
7	2012—13	———	———	1,37,94,175.00
8	2013—14	7,47,633.00 (Assessment year 2007-08 से सम्बन्धित)	———	1,45,41,808.00

चूँकि आयकर अधिनियम की धारा 10 (26—एएबी) के अन्तर्गत विपणन समितियों/बोर्ड की आय को दिनांक 1.4.2009 से कर मुक्त कर दिया गया है। अतः दिनांक 1.4.2009 के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा कोई भी आयकर अदा नहीं किया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की आय पर किये गए भुगतान की वसूली हेतु आयकर कमिश्नर के समक्ष अपील की गई थी तथा तदानुसार ₹1,45,41,808 का आयकर अग्रिम मानकर तुलन पत्र में दर्शाया गया है। यह प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः

9 में दर्शित उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया गया था। अतः उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में ला कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 सर्विस टैक्स की असमायोजित ₹21,05,455 का दर्शाया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालयः चण्डीगढ़–1 के पत्र संख्याः V(ST)SCN/ADC/ADJ/SML/28/2012, दिनांक 4.2.2014 तथा V(ST)SCN/ADC/ADJ/SML/39/14, दिनांक 8.10.2014 के अनुसार मण्डी समितियों द्वारा जो अस्थाई सम्पति पर किराए की वसूली की गई थी, उस पर मण्डी समितियों द्वारा सेवा कर देय था तथा सम्बन्धित अथौरटी द्वारा विपणन समितियों को किराए पर देय सेवा कर तथा देय जुर्माना जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था। मण्डी समिति, सोलन से सम्बन्धित देय सेवा कर एवं जुर्माने की ₹22,50,616 + 5000 (जुर्माना) तथा ₹9,82,647 की वसूली की मांग की गई थी, जिसमें से मण्डी समिति, सोलन ने केवल सेवा कर से सम्बन्धित ₹11,22,808 (अवधि 1.6.2007 से 30.9.2011 तक, बिल संख्याः 9, दिनांक 4.4.2014 के अन्तर्गत) तथा ₹9,82,647 (अवधि 4/12 से 9/13 तक, बिल संख्याः 368, दिनांक 15.11.2014 के अन्तर्गत अर्थात कुल ₹21,05,455) जमा करवा दी थी। इस प्रकार जमा करवाए गई सेवा कर की उक्त ₹21,05,455 विभिन्न मार्केट यार्डों में विभिन्न दुकानों के आबंटियों से वसूल की जानी अपेक्षित थी, लेकिन मण्डी समिति द्वारा इस राशि की अपने कोष से निकासी करके सेवा कर के रूप में जमा करवाई। चूँकि यह मामला मण्डी समिति द्वारा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर कर न्यायाधीन है, अतः इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय आने पर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व तदानुसर सेवा कर की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 कारोबारियों द्वारा नियमों का उलंघन करने के बावजूद भी उनके पंजीकरण को निरस्त न करना

मण्डी समिति के वर्ष 2014–2015 के तुलन पत्र में दर्शाए गए मण्डी शुल्क (market fee) तथा किराए (rent) की वसूली से सम्बन्धित ₹16,87,197 के bounced cheques मण्डी समिति को प्राप्त हुए थे जिसका विवरण निम्नानुसार है।

कारोबारी का नाम	क्रमांक	चैक संख्या	दिनांक	राशि	टिप्पणी
मैसर्ज ग्रामीण कृषक सोसाईटी शॉप नं0 5	1	873783	31.3.2011	3,00,000	मण्डी शुल्क
	2	873782	31.3.2011	2,72,000	मण्डी शुल्क
मैसर्ज राजीव कुमार संजीव कुमार शॉप नं0 29	3	862737	31.3.2011	48,916	मण्डी शुल्क
	4	862736	31.3.2011	2,00,000	मण्डी शुल्क
	5	862734	31.3.2011	2,50,000	मण्डी शुल्क
	6	862735	31.3.2011	2,00,000	मण्डी शुल्क
मैसर्ज ग्रामीण कृषक सोसाईटी शॉप नं0 5	7	212603	21.8.2014	3,36,715	मण्डी शुल्क

मैसर्ज रजत थापा	8	030352	20.8.2014	48,506	मण्डी शुल्क
मैसर्ज रोहित चौहान	9	777647	21.8.2014	31,060	मण्डी शुल्क
			कुल योग	**16,87,197**	**परिशिष्ट–''ग''**

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 40(4) की शर्तों के अनुसार यदि कोई आवेदक/कारोबारी हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन अधिनियम/नियम व उप नियमों के किसी भी प्रावधान का उलंधन करता है, तो उस अवस्था में उसे आवश्यक नोटिस जारी करके उसके पंजीकरण को निरस्त किए जाने का प्रावधान है। मण्डी समिति द्वारा ''Bounced Cheques'' से सम्बन्धित मामलों को न्यायालय के समक्ष लाने के बावजूद भी न तो सम्बन्धित कारोबारियों के पंजीकरण को रद्द किया गया और न ही उनके कारोबार को रोका गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस बारे समिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन 2012–13 में पैरा संख्याः 11(क) तथा 2013–14 में पैरा संख्याः 10 द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में मण्डी समिति कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के अतिरिक्त बकाया राशि की वसूली न्यायालय के माध्यम से करने तथा अधिनियम की धारा 45(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर भी विचार किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों से सम्बन्धित देय प्रतिभूति में ₹2.49 लाख का अन्तर पाया जाना

मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2014–2015 के तुलन पत्र (**परिशिष्ट–''ख''**) में विभिन्न दुकानों/गोदामों की प्रतिभूति (Security Payble) के रूप में ₹1,06,07,927.50 देय दर्शाई गई है, जबकि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई विवरणिकाओं (**परिशिष्ट–''घ''**) के अनुसार देय प्रतिभूति की ₹1,03,59,036 दर्शाई गई है। अतः तुलन पत्र तथा उक्त **परिशिष्ट–"घ''** में देय प्रतिभूति में ₹248891.50 का अन्तर पाया गया, जिसका शीघ्र मिलान करके देय प्रतिभूति की सही राशि का आंकलन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 कृषि उपज समिति, सोलन में विभिन्न दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की समय पर नीलामी न करने के कारण समिति को हो रही हानि के बारे में

कृषि उपज समिति, सोलन की विभिन्न दुकानों/गोदामों/कार्यालयों के पिछले कई माह से रिक्त है, जिनका विवरण **परिशिष्ट–''ड़''** पर दिया गया है। इन दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की समय पर नीलामी न करने के कारण समिति को हो रही हानि के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रिक्त पड़ी दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की नीलामी हेतु उचित पग उठाये जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

13 दुकानों के किराये की ₹45.11 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत बकाया किराये की सूची के अनुसार **परिशिष्ट–''च''** के अनुसार तथा तुलन पत्र के (**परिशिष्ट–''ख''**) के अनुसार दिनांक 31.3.2015 के ₹45,10,561 विभिन्न मार्केट यार्डों के विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है, जिसकी समयबद्ध वसूली न होने के कारण एक तो मण्डी समिति के अदत किराये की राशि में वृद्धि हो रही है तथा मण्डी समिति को निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः उक्त आबंटियों से बकाया किराये की राशि को आबंटन निति एवं अधिनियम की शर्तों के अनुसार वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आबंटित दुकानों से पट्टा की ₹9.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणु में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकाने आबंटित की गई हैं जिनमें से **परिशिष्ट–''छ''** के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को ₹9,37,822 विभिन्न पट्टाधारियों से वसूली योग्य शेष थी, जिसकी वसूली हेतु उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे

(क) मण्डी शुल्क की ₹2,50,862.18 की कम वसूली करना

मण्डी समिति को वर्ष 2010–2011, 2011–2012 व 2012–2013 तथा 2013–2014 में प्राप्त हुए मण्डी शुल्क की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–''ज''** के अनुसार मण्डी समिति सोलन के कारोबारियों/कमीशन एजैंटों से उनके नाम के आगे दर्शाई गई देय मण्डी शुल्क की ₹2,50,862.18 की कम वसूली की गई, जिसे अब हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधयानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 37(8) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अ0सं0 3, दिनांक 30.4.2014 (59,456), 5 दिनांक 24.5.2014 (42,422.88), 6 दिनांक 5.8.14 (23,694.30), 14 दिनांक 10.10.2014 (75,600), 34 दिनांक 5.3.2015 (49,689)

(ख) मण्डी शुल्क की जाँच हेतु 'O' तथा 'Q' फॉर्म प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप में अनुरोध किए जाने के बावजूद भी निम्नलिखित फर्मों से सम्बन्धित 'O' तथा 'Q' फॉर्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन फर्मों द्वारा मण्डी समिति के नियमानुसार वांछित अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे, जिस कारण इन फर्मों से जितना सही मण्डी शुल्क प्राप्त किया जाना था, उस का आंकलन नहीं किया जा सका। अतः

इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्रम संख्या	फर्म का नाम/शीर्ष	शॉप संख्या	अवधि	टिप्पणी
3	M/s FC Merchandiser, Solan	....	1.4.12 से 31.3.14	O and Q forms
5	M/s Shiv vegetables	18	8.4.12 से 15.8.13	Q forms
6	M/s TRS. Solan	15	1.4.12 से 31.3.14	Q forms
7	M/s Verma Fruit & Co.	....	24.6.13 से 22.10.13	Q forms
8	M/s Brajeshwari apple agency Solan	....	31.7.12 से 6.10.13	Q forms
9	M/s Shami Kumar, Bye Pass	......	18.8.12 से 22.10.14	Q forms
10	M/s Mahasu apple Trader	....	24.7.13 से 31.8.13	Q forms
11	M/s Roop Lal & Sons	.....	9.3.13 से 5.10.13	Q forms

अ0सं0 16, दिनांक 13.10.2014 तथा अ0सं0 34, दिनांक 5.3.2015

(ग) सैक्शन 45(2) की अनुपालना न करने के कारण विपणन समिति को हानि होने के बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation), Act 2005 के नियम 45(2), जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है, का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तथा प्राप्त आय देरी से जमा की जा रही है।

"On the agricultural produce brought in the market area for the commercial transaction or for processiong, the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as case may be, in the office of the Market Committee, within fourteen days but before the sale or resale or processing or export outside the market area of such agricultural produce", परन्तु मण्डी समिति में उक्त नियमानुसार मण्डी शुल्क जमा नहीं करवाया जा रहा है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैं। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार (नियम 45(3) के अन्तर्गत) कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में निर्धारित समय अवधि के भीतर मण्डी शुल्क का जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	अवधि	रसीद संख्या तथा दिनांक	राशि
M/s Roop Lal & Sons	16-8-13 to 31-8-13	34/2456 dated 16-9-13	26,082
---------	9-7-13 to 31-7-13	95/2411 dated 6-8-13	63,175
---------	16-9-13 to 5-10-13	56/2471 dated 28-10-13	25,182
M/s Verma Fruit Co. Solan, Shop No.1	3-9-13 to 12-10-13	62/2479 dated 31-3-14	2,32,835
M/s Shami Kumar	16-6-13 to 30-6-13	065/2389 dated 9-7-13	19,755
-------	1-7-13 to 27-7-13	096/2389 dated 30-7-13	23,721
--------	28-7-13 to 26-8-13	046/2390 dated 29-8-13	72,560

M/s Shiv Vegetables (Shop No. 18)	20-6-13 to 28-6-13	007/2411 dated 9-7-13	1710(4290)
M/s Brajeshwari apple agency	11-8-13 to 22-8-13	029/2456 dated 12-9-13	66,843

(अ0सं0 तथा 34 दिनांक 5.3.2015)

(घ) मण्डी शुल्क जमा करने से सम्बन्धित रसीद प्रस्तुत न किए जाने बारे

M/S Shiv Veg Co (Shop No. 18) से प्राप्त मण्डी शुल्क की पड़ताल के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा ''O'' फॉर्म संख्याः 0034152 अनुसार दिनांक 6.6.12 से 8.6.12 तक किए गए क्रय पर उनके द्वारा मण्डी शुल्क की ₹12,120.85 देय थी। फर्म द्वारा देय मण्डी शुल्क की ₹12,121 में से ₹5110 पहले ही जमा की गई दर्शाई गई थी तथा शेष (12121–5110) ₹7011, रसीद संख्याः 0003908, दिनांक 20.6. 2012 द्वारा जमा करवा दी गई थी, परन्तु ₹5110 के जमा से सम्बन्धित रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः मण्डी शुल्क शेष उक्त ₹5110 की जमा से सम्बन्धित रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए । (अ0स0 34, दिनांक 5.3.2015)

(ङ) मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का ठीक ढंग से रख–रखाव न करना

विभिन्न फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का ठीक ढंग से रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ''औ'' तथा ''क्यू'' फार्म में कई जगह Cuttings/Over Writings की गई थी। कई फार्मज़ के सम्बन्धित स्तंभों में रेट तथा वजन का सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा जा रहा था, जोकि उचित नहीं है। अतः भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। (अ0सं0 14, दिनांक 10.10.14 तथा 34 दिनांक 5.3.2015)

16 बिजली के बिलों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे

(क) बिल संख्याः 335, दिनांक 22.10.2014, ₹48,942 के पूर्व अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) बिजली के बिल के मासिक चार्जिज में असमान्य वृद्धि पाई गई। यह वृद्धि बिल की row no. 7 में निम्न विवरणानुसार शीर्ष Sundary Allownace (D/S) के अन्तर्गत लगाये गए चार्जिज के कारण प्रतीत होती है। इन चार्जिज के लगाये जाने के कारण न तो बिल पर अंकित थे तथा न ही समझने योग्य थे कि यह क्यों लगाये गए।

मीटर संख्या	बिल संख्या/दिनांक	वर्तमान बिल की राशि	पिछले बिल की राशि	वर्तमान बिल में असमान्य वृद्धि	Sundry allowance (D/C) (बिल की 7 नं0 लाईन पर)
SBC-72	01452314/27-10-14	8828	3453	5373	5472
SBC-73	01452315/27-10-14	8016	3290	4726	5184
SBC-74	01452316/27-10-14	10171	5477	4694	5544

(ii) इसी प्रकार सब मार्किट यार्ड, नालागढ़ से सम्बन्धित मीटर संख्याः HC-2000111 में माह 6/2014 के bimonthly चार्जिज में असमान्य वृद्धि पाई गई। बिजली के बिल से सम्बन्धित रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 17, 18 तथा 53 के अनुसार माह 6/2014 से पूर्व इस मीटर का bimonthly चार्ज ₹170 था, परन्तु उसके पश्चात् दो माह के चार्जिज में ₹3408 (3578–170) की असमान्य वृद्धि पाई गई थी, जोकि उचित प्रतीत नहीं होती है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि मीटर रीडिंगस, यूनिट्स की खपत, लगाये गए चार्जिज से सम्बन्धित अवधि इत्यादि से सम्बन्धित विवरण भी बिल पर नहीं दिया जा रहा तथा बिजली बोर्ड द्वारा लगाये गए चार्जिज के सही होने बारे संशय उत्पन्न करते हैं। इस अनियमितता से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बिल संख्या तथा दिनांक	मीटर रीडिंग		यूनिट्स की खपत	अवधि	Bimonthly Chargies
	पुरानी	नई			
11125103739	....	....	Not mentioned	10 to 11/13	170
11123256055/ 20-2-14	....	....	Not mentioned	12 to 1/14	170
111234252200/ 23-4-14	93	93	Not mentioned	2 to 3/14	170
1112361479/ 26-6-14	93	0	600	4 to 5/14	3578
11237665838/ 21-8-14	600	600	Not mentioned	6 to 8/14	3578
111239216539/ 17-10-14	0	93	600	8 to 10/14	3384

(ख) बिल संख्याः 555, दिनांक 27.2.15 ₹22,839 के पूर्व अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) इस बिल में मीटर संख्याः MC(C)-9 से सम्बन्धित ₹15,484 का बिल संलग्न था तथा इस बिल के पूर्व अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस बिल की आरम्भिक रीडिंग पिछले बिल की अन्तिम रीडिंग से मेल नहीं खाती थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से स्पष्ट हो जाता हैः–

बिजली बिल रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	पिछले बिल की अवधि	बिजली के रजिस्टर के अनुसार पिछले बिल की अन्तिम रीडिंग	वर्तमान बिल की अवधि	वर्तमान बिल की आरम्भिक रीडिंग
120	1-11-14 to 1-12-14	83238	1-1-15 to 1-2-15	84294 (Kvah, as per MRI)
-do-	-do-	20055	-do-	20448 (night hours-1)
-do-	-do-	8303	-do-	8549 (peak hours-2)

(ii) यह बिल अवधि 1.1.15 से 1.2.15 तक से सम्बन्धित था, जबकि पिछले बिल की अवधि 1.11. 2014 से 1.12.2014 तक थी जिस से यह प्रतीत होता है कि बीच की अवधि 1.12.2014 से 1.1.2015 से सम्बन्धित बिल का भुगतान निर्धारित समय अवधि के दौरान नहीं किया गया था, क्योंकि वर्तमान बिल में

बकाया राशि से सम्बन्धित ₹8203 (7669 + 534) भी सम्मिलित है। इस बकाया राशि में 1.12.2014 से 1.1.2015 से सम्बन्धित बिल के निर्धारित समय अवधि के दौरान भुगतान न किए जाने के कारण पैनल्टी की राशि सम्मिलित होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(iii) इस बिल में परवाणू यार्ड से सम्बन्धित (मीटर संख्याः MCC2000001) का ₹7355 का बिल भी संलग्न था तथा बिल की आरम्भिक रीडिंग भी पिछले बिल की अन्तिम रीडिंग से मेल नहीं खाती थी जोकि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाता हैः–

बिजली बिल रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	**पिछले बिल की अवधि**	**बिजली के रजिस्टर के अनुसार पिछले बिल की अन्तिम रीडिंग**	**वर्तमान बिल की अवधि**	**वर्तमान बिल की आरम्भिक रीडिंग**
36	8/2014 से 10/2014	11359	12/14 से 2/15	12097

इसके अतिरिक्त उक्त बिल अवधि 12/14 से 2/15 से सम्बन्धित था, जोकि पिछले बिल की अवधि 8/2014 से 10/2014 तक थी, जिस से यह प्रतीत होता है कि बीच की अवधि 10/2014 से 12/2014 तक से सम्बन्धित बिल का भुगतान निर्धारित समय अवधि के दौरान नहीं किया गया था तथा इस कारण वर्तमान बिल की ₹7355 में पिछले अवधि 10/2014 से 12/2014 से सम्बन्धित बिल की बकाया राशि तथा पैनल्टी की राशि सम्मिलित होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त अनियमितताएं पूर्व अंकेक्षण के दौरान मण्डी समिति के ध्यान में लाई गई थी, परन्तु मण्डी समिति ने यह बिल अंकेक्षण के समक्ष पारित करने हेतु पुनः इस आश्वासन के साथ प्रस्तुत किए गए थे कि उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित मामले आवश्यक समायोजन हेतु बिजली बोर्ड के समक्ष उठाये जायेंगे। अतः मण्डी समिति की Committed Liability होने के कारण तथा बिजली का कनैक्शन कटने से बचाने हेतु यह बिल उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा करने की शर्त पर अस्थाई रूप से पारित कर दिया गए थे, परन्तु मण्डी समिति ने अभी तक उपरोक्त अनियमितताओं बारे की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति को यह भी सुझाव दिया गया था कि जब भी पानी/बिजली/दूरभाष से सम्बन्धित बिलों के चार्जिज में कोई अनियमितता पाई जाती है तो अपने स्तर पर मामला सम्बन्धित विभाग के समक्ष आवश्यक स्पष्टीकरण (Clarification) तथा विनियमन (regulation) हेतु उठाया जाए ताकि बिलों का निर्धारित समय अवधि के दौरान भुगतान किया जा सके।

(अ0स0 20, दिनांक 29.10.2014 तथा अ0स0 33, दिनांक 5.3.2015)

17 मण्डी समिति के वाहन (Scorpio) के क्रय तथा रजिस्ट्रेशन हेतु दी गई अग्रिम राशियों के सामयोजन के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे (बिल संख्याः 599, दिनांक 26.3.14 ₹8,43,234 तथा बिल संख्या 600 दिनांक 26.3.2014, ₹30,000)

उक्त वाहन के क्रय हेतु तथा रजिस्ट्रेशन हेतु दी गई अग्रिम राशि के समायोजन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :—

(क) समायोजन बिल संख्याः 599, दिनांक 26.3.2014 ₹8,43,234 जोकि मण्डी समिति के वाहन के क्रय से सम्बन्धित है के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा छूट के पश्चात ₹7,78,009 का वाहन क्रय किया गया था, परन्तु समायोजन बिल के साथ कम्पनी द्वारा जारी मूल्य सूची (Price List) संलग्न नहीं पाई गई बार—बार आग्रह करने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण वाहन कम्पनी द्वारा जारी मूल्य सूची के अनुसार उस समय के प्रचलित मूल्य पर ही क्रय किया गया था, इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः कम्पनी की वाहन के क्रय के समय से सम्बन्धित मूल्य सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि वाहन के क्रय पर किए गए ₹7,78,009 के व्यय के सही होने की पुष्टि की जा सके।

(ख) समायोजन बिल संख्याः 599, दिनांक 26.3.2014 ₹8,43,234 में वाहन की पूरक वस्तुओं (accessories) के क्रय से सम्बन्धित ₹7000 (बिल संख्याः 417, दिनांक 10.12.13 द्वारा) किया गया भुगतान भी शामिल था। वाहन की पूरक वस्तुओं पर कुल ₹28,134 (बिल संख्याः 417, दिनांक 10.12. 2014) का व्यय किया गया था, जिसमें से ₹21,134 का पहले से ही अलग से भुगतान कर दिया गया था तथा बिल की शेष ₹7000 (28,134 — 21,134) के समायोजन हेतु समायोजन बिल संख्याः 599, दिनांक 26.3.2014 अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था जबकि वाहन की पूरक वस्तुओं पर नियमानुसार (norms for use & maintenance of Govt. Vehicles) ₹2000 का व्यय किया जाना ही अपेक्षित था, जबकि पूरक वस्तुओं पर ₹26,134 (28134 — 2000) अधिक का व्यय किया गया था, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पूरक वस्तुएं जोकि वाहन में लगाई गई थी वह भी नियमानुसार अनुज्ञात (allowed) नहीं थी। अतः वाहन की पूरक वस्तुओं पर किए गए ₹26,134 (28134 — 2000) के अधिक व्यय को एवं वाहन में लगाई गई पूरक वस्तुएं जैसे कि CDMP3, Speakers, Speeaker box इत्यादि जोकि नियमानुसार अनुज्ञात प्रतीत नहीं होती है, का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) समायोजन बिल संख्याः 600, दिनांक 26.3.2014, ₹30,000 वाहन की registration/passing से सम्बन्धित था। रसीद संख्याः AA204830 दिनांक 19.12.2013 (Govt. of Himachal Pradesh, RLA Nalagarh, District, Solan) के अनुसार वाहन की registration/passing हेतु ₹22,443 का भुगतान किया गया था, जिसमें ₹500 जुर्माने के रूप में भी शामिल थे, जोकि मण्डी समिति के कोष से

नियमानुसार देय नहीं थे। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹500 की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके इसे मण्डी कोष में जमा करवाए जाए।

(अ0स0 26, दिनांक 29.12.2014)

18 भुगतान की गई ₹1.64 लाख से सम्बन्धित बिल/रसीद प्रस्तुत न किए जाने बारे

अंकेक्षण के समक्ष APMC, Solan की स्टेशनरी की प्रिंटिंग कार्य से सम्बन्धित बिल (संख्या 495, दिनांक 17.1.2015, ₹1,64,500) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रिंटिंग का यह कार्य HPSAMB Shimla द्वारा APMC Solan के लिए Printing & Stationry Department, Himachal Pradesh से करवाया था। HPSAMB, Shimla के पत्र संख्या HMB(A)6-4/2010-4231, दिनांक 8.8.2014 द्वारा APMC, Solan को इस पत्र के दिए गए विवरण के अनुसार स्टेशनरी पर आए खर्च की ₹1,64,500 को 7 दिन के भीतर HPSAMB Shimla को प्रेषित करने के लिए लिखा गया था, ताकि Printing & Stationry Department, Himachal Pradesh को समय पर भुगतान किया जा सके, परन्तु बिल के साथ स्टेशनरी के प्रिंटिंग कार्य से सम्बन्धित Printing & Stationary Department, Himachal Pradesh द्वारा जारी कोई बिल संलग्न नहीं था, जिससे यह पुष्टि की जा सके कि मण्डी समिति सोलन की स्टेशनरी की प्रिंटिंग पर ₹1,64,500 का आया व्यय सही था। अतः निश्चित समय अवधि के भीतर भुगतान किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए ₹1,64,500 का भुगतान HPSAMB, Shimla को इस शर्त पर किया गया था कि Printing & Stationry Department, Himachal Pradesh द्वारा APMC, Solan की स्टेशनरी की प्रिंटिंग से सम्बन्धित बिल/रसीद प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि स्टेशनरी पर आए ₹1,64,500 के व्यय की सही होने की पुष्टि की जा सके।

(अ0सं0 31, दिनांक 7.2.2015)

19 बजट प्रावधान के न होने पर भी भुगतान करने बारे

मण्डी समिति सोलन ने HPSAMB, Shimla को "Providing & Erection of building main control panels at Terminal Market at Parwanoo Distt. Solan HP" के कार्य के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम राशि प्रेषित करने हेतु बिल संख्याः 251, दिनांक 10.9.2014, ₹6,63,380 अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया था। बिल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2014–2015 से सम्बन्धित बजट में इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान नहीं था। यह तथ्य अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति सोलन के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी से बजट का आबंटन करवाए जाने हेतु कहा गया था, परन्तु यह बिल अंकेक्षण के समक्ष इस उतर के साथ प्रस्तुत किया गया कि अग्रिम राशि जारी किया जाना आवश्यक है तथा इस कार्य के लिाए सक्षम प्राधिकारी से बजट का आबंटन करवा लिया जाएगा। इस लिए आवश्यकता को देखते हुए यह बिल अंकेक्षण में सक्षम प्राधिकारी

से इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु बजट आबंटित करवाए जाने की शर्त पर स्वीकृत कर लिया था, परन्तु अभी तक इस बारे की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(अ0स0 10, दिनांक 22.9.2014)

20 मण्डी समिति के विश्राम गृह से सम्बन्धित आगंतुक पंजिकाओं का नियमानुसार रख–रखाव न किए जाने बारे

बोर्ड के पत्र संख्याः HMB(B)2-11/97-5702 दिनांक 30.9.2014 के अनुसार सेब सीजन के दौरान जिन कर्मचारियों द्वारा अस्थाई नियुक्तियों के दौरान मण्डी समिति के विभिन्न विश्राम गृहों में ठहराव किया गया था, उनसे ठहराव शुल्क की वसूली की जानी थी। इन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित incharges ने कर्मचारियों के विश्राम गृहों में अस्थाई नियुक्तियों के दौरान किए गए ठहराव से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई थी। सीजन के दौरान जिन कर्मचारियों द्वारा परवाणू में स्थित विश्राम गृह में ठहराव किया गया था, उनसे सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित incharge द्वारा पत्र संख्याः A/SMY-GC-3/79-260 दिनांक 20.10.2014 के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई थी। इस पत्र में सम्बन्धित कर्मचारियों के ठहराव से सम्बन्धित जानकारी के साथ यह लिखा भी पाया गया कि जिन कर्मचारियों द्वारा सीजन के दौरान ठहराव किया गया था, उनसे सम्बन्धित अभिलेख का चौकीदार द्वारा रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि उचित नहीं है, क्योंकि नियमानुसार जो भी व्यक्ति विश्राम गृह में ठहराव करता है, उसका पूर्ण विवरण आगंतुक पंजिका में दर्ज किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह नही किया जा रहा है। अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति को आगंतुक पंजिकाओं का नियमानुसार रख–रखाव करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 25, दिनांक 29.12.2014 द्वारा परामर्श दिया गया था तथा साथ ही मण्डी समिति के अधीन सभी आगंतुक पंजिकाओं में प्रविष्टियों को update करके तथा उन प्रविष्टियों को सत्यापित करवा कर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया था, परन्तु यह आगंतुक पंजिकायें अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके यह अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

21 बोर्ड को डिपॉजिट वर्क्स के लिए जारी की गई अग्रिम राशियों के समायोजन के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बारे में

मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्याः (Endst) A/SMC/DW/UC-2306 दिनांक 1.7.2015 के अन्तर्गत वार्ड द्वारा जारी ₹4,92,59,707 की अग्रिम राशियों के utilization certificates (2012-2013 & 2013-2014) के आधार पर इन्हें समायोजन हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इन अग्रिम राशियों

के समायोजन के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई तथा अंकेक्षण द्वारा ₹4,92,59,707 का समायोजन निम्नानुसार सशर्त किया गया।

(क) उपरोक्त ₹4,92,59,707 में से निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित ₹1,18,75,826 (2012–2013 और 2013–2014) utilization certificates के आधार पर समायोजित कर ली गई थी।

Sr. No.	Name of Work	Bill No./date of advance	Advance given (Rs.)	Amount utilized as per UC against the advance (Rs)
1.	C/o Public Toilets T.M. Parwanoo	374/6-12-12	329462.00	329462.00
2.	Repair of Shed No. 2 TM Parwanoo	--do--	171171.00	171171.00
3.	Repair os Shed No. 1 TM Parwanoo	--do--	70277.00	70277.00
4.	C/o Public Toilets T.M. Parwanoo	524/19.3.13	365920.00	365920.00
5.	C/o SMY at Sadhupul	65/18.5.13	512992.00	512992.00
6.	C/o Bailey Bridge (TM Parwanoo)	59/16.5.13 206/2.8.13 462/1.1.14	6000000.00 2000000.00 460360.00	8460360.00
7.	C/o Toilet Block No. ii TM Parwanoo	206/2.8.13	527246.00	527246.00
8.	Chhajja in auction plateform TM Parwanoo	490/21.1.14	958145.00	958145.00
9.	Providing cladding gutter and rain water pipes in auction plateform	--do--	466202.00	466202.00
10.	C/o RCC slab cover for inspection chambers and main hole (TM Parwanoo) inspection chambers and main hole (TM Parwanoo)	46/7.5.12	14051.00	14051.00
		Total	**1,18,75,826.00**	**1,18,75,826.00**

(ख) मण्डी समिति की अग्रिम राशियों के समायोजन के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए ₹91,90,297 जारी की गई थी, परन्तु UCs तथा मण्डी समिति द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 1.7. 2015 द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि इन कार्यों पर ₹83,82,319 का व्यय आया था। इन निर्माण कार्यों के पश्चात बोर्ड के पास शेष बची हुई ₹8,07,978 (91,90,297 – 83,82,319) की वार्ड से वसूली करके मण्डी समिति कोष में वापिस जमा करवाई गई थी या नहीं, इससे सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अतः निम्नलिखित कार्यों पर ₹83,82,319 के व्यय को इस शर्त पर समायोजित किया गया कि इन कार्यों हेतु बोर्ड को जारी की गई

कुल राशि में से शेष बची ₹8,07,978 वापिस प्राप्त करने से सम्बन्धित अभिलेख तथा मण्डी समिति के कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कावाया जाए।

Sr. No.	Name of Work	Bill No./ date of advance	Advance given (Rs.) (a)	Amount utilized as per UC against the advance (Rs.) (b)	Left out amount (Rs.) (a-b)
1.	Prov. Of gate and protection grills in Solan Building	46/7.5.12	1,08,700	1,08,413	287.00
2	Renovation of Chairman office (RMY Solan)	--do--	72,714	66,160	6,554.00
3.	C/o Public Toilets (TM Parwanoo)	--do--	35,370	35,260	110.00
4.	Restoration of Water Supply (TM Parwanoo)	--do--	21,231	20,231	1,000.00
5.	AR/MO PMY Solan (Painting & distempering)	106/15.6.12	5,11,125	3,50,850 1,52,070 **5,02,920**	8,205.00
6.	Architectural Service TM Parwanoo (E&M of TM Parwanoo)	7/10.4.13	5,00,000	4,00,259	99,741.00
7.	C/o Cause Way-I (TM Parwanoo)	59/16.5.13	2,85,913	2,71,019	14,894.00
8.	Strengthening of approach road Solan	572/12.3.14	3,00,000	2,76,682	23,318.00
9.	C/o 20 No. Shops in existing shed no. IT.M. Parwanoo	134/22.6.13	28,97,989	11,70,253 16,51,731 **28,21,984**	76,005.00
10.	C/o cause way No. III (TM Parwanoo)	270/18.9.13	4,23,580	4,19,851	3,729.00
11.	C/o Proposed toilet Block & Septic Tank	206/2.8.13	10,23,600	2,51,404 1,80,391 1,83,274 **9,15,069**	1,08,531.00
12.	C/o Chowkidar Residence (TM Parwanoo)	270/18.9.13	3,75,253	3,59,422	15,831.00
13.	C/o U Shape drains (TM Parwanoo)	206/2.8.13	5,68,698	4,03,658	1,65,040.00
14.	Mask light (TM Parwanoo)	270/18.9.13	5,00,000	3,87,538	1,12,462.00

15.	C/o Breast wall in plum concerete adjoining of the newly constructed building kather Solan	539/29.3.13 572/12.3.14	3,23,250 <u>4,00,000</u> **<u>7,23,250</u>**	5,73,890	1,49,360.00
16.	ARMO SMY at Arki	--do--	2,86,200	2,69,799	16,401.00
17.	C/o cause way-II (TM Parwanoo)	59/16.5.13	5,56,674	5,50.164	6,510.00
		Total	**91,90,297**	**83,82,319**	**8,07,978.00**

(ग) मण्डी समिति की अग्रिम राशियों के समायोजन के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर ₹2,32,31,147 व्यय की गई दर्शाई गई थी, परन्तु UCs तथा मण्डी समिति द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 1.7.2015 द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि इन कार्यों पर ₹2,51,55,463 का व्यय आया था, जोकि इन निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई अग्रिम राशियों से ₹19,24,316 (2,51,55,463 – 2,32,31,147) अधिक है। अंकेक्षण को यह भी अवगत करवाया गया था कि इन निर्माण पर आया अधिक व्यय बोर्ड के पास मण्डी समिति की शेष बची हुई राशियों में से किया गया था, परन्तु बोर्ड के पास बची हुई शेष राशि किन कार्यों से सम्बन्धित थी, उस बारे कोई भी विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। अतः निम्नलिखित कार्यों पर ₹2,51,55,463 के व्यय इस शर्त पर समायोजित किया गया है कि इन कार्यों पर आया ₹19,24,316 का अधिक व्यय, जिन कार्यों की शेष बची हुई राशियों में से किया गया था उस बारे पूर्ण विवरण प्राप्त करके इन कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी से संशोधित प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके तथा मण्डी समिति के खातों में आवश्यक समायोजन/प्रविष्टियाँ करके सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि खातों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशियों तथा उन पर आए व्यय की सही स्थिति को दर्शाया जा सके।

Sr. No.	Name of Work	Bill No. /date of advance	Advance ggiven (Rs.)	Amount utilized as per UC against the advance (Rs.)	Excess amount spent on works (Rs.)
1.	C/o Sub Market Yard Sadhupul	287/17.10.12	15,00,000	15,01,247	1,247.00
2.	C/o Proposed Auction Plateform TM Parwanoo	30/3.5.13 134/22.6.13	32,00,000 <u>1,00,00,000</u> **<u>1,32,00,000</u>**	1,44,11,812	12,11,812.00
3.	C/o Proposed Breast Wall TM Parwanoo	59/16.5.13	2,09,913	2,11,551	1,638.00
4.	Protection work of Road TM Parwanoo	134/22.6.13	35,99,400	37,16,152	1,16,752.00

5.	RCC Abutment (TM Parwanoo)	206/2.8.13	4,95,016	7,26,212	2,31,196.00
6.	C/o 22 No. Offices in existing shed No. 2 TM Parwanoo	206/2.8.13	31,02,611	6,64,559 25,01,421 **31,65,980**	63,369.00
7.	M&E of TM Parwanoo (SH: E.I.)	270/18.9.13	7,00,000	7,88,805	88,805.00
8.	C/o Canteen Block (TM Parwanoo)	270/18.9.13	4,24,207	5,94,948 38,756 **6,33,704**	2,09,497.00
		Total	**2,32,31,147**	**2,51,55,463**	**19,24,316.00**

(घ) विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समिति सोलन के लिए करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के विज्ञापनों पर वर्ष 2012–2013 और 2013–2014 में ₹1,08,231 व्यय किए गए दर्शाए गए थे जैसा कि इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों से स्पष्ट होता है, परन्तु अलग–अलग निर्माण कार्यों के विज्ञापनों पर कितना–कितना व्यय किया गया था, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नही करवाया था। इस विवरण के अभाव में न तो यह पता लगाया जा सका कि किस निर्माण कार्य के विरूद्ध कितनी विज्ञापन की राशि समायोजित की जानी थी तथा न ही प्रत्येक निर्माण कार्य के वास्तविक व्यय को दर्शाया जा सका। अतः विज्ञापन पर किए गए ₹1,08,231 के व्यय को इस शर्त पर समायोजित किया जाता है कि बोर्ड से विभिन्न निर्माण कार्यों के विज्ञापनों पर किए गए व्यय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाए तथा उस व्यय को सम्बन्धित निर्माण कार्यों के विरूद्ध डैबिट करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि खातों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशियों तथा उन पर आए व्यय की सही स्थिति को दर्शाया जा सके।

Sr. No.	Detail	Amount (Rs)	As per UC
1.	Advertisements	31,543.00	2012-2013
2.	Advertisements	21,850.00	2013-2014
3.	Advertisements	44,467.00	2013-2014
4.	Advertisements	10,371.00	2013-2014
	Total	**1,08,231.00**	

(ङ) पत्र संख्याः दिनांक 1.7.2015 द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन बोर्ड के पास मण्डी समिति की शेष बची हुई राशियों (Surplus funds) में से करवाया गया था, परन्तु जिन निर्माण कार्यों की शेष बची हुई राशियों में से निम्नलिखित निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन करवाया गया था, उनसे सम्बन्धित कोई भी विवरण न तो अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया गया तथा न ही इन कार्यों को करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की

प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति दर्शाई गई थी। अतः निम्नविवरणानुसार ₹37,37,868 इस शर्त पर समायोजित की गई है कि इन कार्यों पर आए ₹37,37,868 का व्यय, जिन–जिन कार्यों की शेष बची हुई राशियों में से किया गया था, उनसे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करके तथा सक्षम प्राधिकारी की इन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके तथा इन कार्यों से सम्बन्धित मण्डी समिति के खातों में आवश्यक समायोजन/प्रविष्टियाँ करके, सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ताकि खातों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशियों तथा उन पर आए व्यय की सही स्थिति को दर्शाया जा सके।

Sr. No.	**Detail of work**	**Amount (Rs)**	**Remarks**
1.	C/o Public Toilets SMY Rajgarh	10,796.00	Out of previous spare funds
2.	Providing Barbed fencing at RMSY Kunihar	64,441.00	Out of previous spare funds
3.	Replacement of Flood lights PMY Solan	70,100.00	Out of previous spare funds
4.	C/o Collection Centre at Bairti (Solan)	1,58,861.00	Out of previous spare funds
5.	Providing Drinking Water TM Parwanoo	4,00,938.00	Out of previous spare funds
6.	M&E of TM Parwanoo (SH.P/L E/I)	6,50,000.00	Out of previous spare funds
7.	C/o Check Post No. 2 (TM Parwanoo)	2,37,642.00	Out of previous spare funds
8.	P/Soiling (G-I) in approach road and Parking area)	7,92,018.00	Out of previous spare funds
9.	E.I. 20 & 22 Nos. Officer, toilet blocks	10,09,016.00	Out of previous spare funds
10.	ARMO of RMY, Parwanoo	3,44,056.00	Out of previous spare funds
	Total	**37,37,868.00**	

(च) अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए गए वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित Journal Voucher संख्याः 5 की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य C/o Modernization and Expansion of Terminal Market Parwanoo (SH: C/o Proposed U-Shape drain पर किए गए ₹4,03,658 के व्यय को Capital Head “Road A/c” के विरूद्ध debit किया गया है, जोकि सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस व्यय को सही Capital Head के विरूद्ध debit करके तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(अ0सं0 –23, दिनांक 29.11.2015)

22 स्थापना पर किए गए व्ययों से सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में

(क) मण्डी समिति, सोलन में सफाई कर्मचारी का स्वीकृत पद न होने पर भी सफाई कर्मचारी को नियुक्त करने बारे

HPSAMB, Shimla की पत्र संख्याः HMB(B)2-21/99-Vol.XIII-2938 दिनांकः शिमला–2, 5. 7.2014 द्वारा श्रीमती कृष्णा देवी को सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित किया गया था। मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्याः A/SMC-2-11/83XI-3208 दिनांक 15.9.2014 उपलब्ध करवाई गई विभिन्न स्वीकृत पदों से सम्बन्धित जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति सोलन में सफाई कर्मचारी का कोई भी स्वीकृत रिक्त पद नहीं था। अतः श्रीमती कृष्णा देवी को सफाई कर्मचारी के स्वीकृत के बिना ही इस पद पर नियमित किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस सन्दर्भ में HPSAMB, Shimla ने अपने पत्र संख्याः HMB(B)5-75/2014-6658 दिनांक 1.11.2014, जिसे मण्डी समिति, सोलन के पृष्ठांकन संख्याः A/SMC-2-11/83/XI-2641 दिनांक 17.11.2014 द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया था, के अनुसार श्रीमती कृष्णा देवी की मण्डी समिति सोलन में नियुक्ति आगामी आदेश पारित किए जाने तक की गई थी तथा यह भी लिखा गया था कि उनकी अस्थाई पद पर नियुक्ति बोर्ड/मण्डी समितियों के कुल स्वीकृत पदों के भीतर है। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी लिखा गया था कि बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि Surplus Staff को आवश्यकता के अनुसार तैनात किया जाए तथा श्रीमती कृष्णा देवी के मासिक वेतन को आगामी आदेश तक मण्डी समिति में रिक्त पड़े हुए Auction Recorders के स्वीकृत पदों के विरूद्ध निकाला जाए। बोर्ड का यह निर्णय तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्रीमती कृष्णा देवी (सफाई कर्मचारी) 'Auction Recorder" के cader में नहीं आती है। इस कारण मण्डी समिति कोष से रिक्त पडे हुए 'Auction Recorders" के स्वीकृत पदों के विरूद्ध उनके वेतन की निकासी मण्डी कोष पर उचित प्रभार नहीं है। इनके अतिरिक्त उनकी नियुक्ति भी जिस मण्डी समिति में उनका स्वीकृत पद है उसी मण्डी समिति में की जानी अपेक्षित थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(अ0स0–07, दिनांक 28.8.2014)

(ख) सेवादार/चौकीदार का स्वीकृत पद न होने बारे

मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार मण्डी समिति, सोलन में सेवादार/चौकीदार के 7 स्वीकृत पद हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्याः HMB(B)2-21/99-Vol-xiii-2938, दिनांक 5.7.2014 द्वारा श्री इन्दर कुमार (DOJ-8-7-14(A/N) तथा पूर्ण चंद (DOJ-09/07/14(A/N) के नियमितिकरण के पश्चात से मण्डी समिति, सोलन में सेवादार/चौकीदार के 7 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 8 कर्मचारियों (6 सेवादार/चौकीदार + 1 चपडासी +

1 चौकीदार) के वेतन की निकासी की जा रही, जोकि अनियमित है। इस विषय पर चर्चा के दौरान मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया था कि मण्डी समिति, सोलन में तैनात एक अतिरिक्त सेवादार/चौकीदार, बोर्ड/मण्डी समिति के कुल स्वीकृत पदों के भीतर है तथा उसका वेतन अन्य रिक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध निकाला जाना था। मण्डी समिति द्वारा यह भी आश्वासन भी दिया था कि शीघ्र ही इस बारे आवश्यक स्पष्टीकरण सम्बन्धित दस्तावेजों सहित बोर्ड से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवया जाएगा, परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे सम्बन्धित निर्देशों के अनुसार सेवादार/चौकीदार के एक पद की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी (वित्त विभाग तथा सरकार) के प्राप्त की जाए।

(अ0सं0 10, दिनांक 1.7.2015)

(ग) मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या A/SMC-2-11/83/xi-3208 दिनांक 15.9.14 द्वारा मण्डी समिति सोलन में स्वीकृत विभिन्न पदों तथा कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/DPLs/ Contractual Staff से सम्बन्धित जानकारी जिसका विवरण **(परिशिष्ट–''झ'')** पर दिया गया है, के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर नियुक्तियां की हुई थीः–

क्र० सं०	**पद/विवरण**	**परिशिष्ट के अनुसार स्वीकृत पद**	**नियुक्त दैनिक भोगियों की संख्या**	**परिशिष्ट के अनुसार नियुक्ति का स्थान**	**टिप्पणी**
1.	दैनिक भोगी (DPL)	शून्य	10	मण्डी समिति कार्यालय सोलन (3), मार्किट यार्ड सोलन (2), सब मार्किट यार्ड परवाणु (1), सब मार्किट यार्ड नालागढ़ (1), अस्थाई सब मार्किट यार्ड, चक्की का मोड (2) तथा अस्थाई सब मार्किट यार्ड, धर्मपुर (1)	**'परिशिष्ट–च'** के अनुसार
2.	अनुबन्ध कर्मचारी (Contractual)	शून्य	3	सब मार्किट यार्ड नालागढ़ (1), अस्थाई सब मार्किट यार्ड, चक्की का मोड (1) तथा अस्थाई सब मार्किट यार्ड, धर्मपुर (1)	**'परिशिष्ट–च'** के अनुसार
3	सफाई कर्मचारी	शून्य	1	मण्डी समिति कार्यालय सोलन (1)	**'परिशिष्ट–च'** के अनुसार **नोटः** बोर्ड की पत्र संख्याः HMB (B) 5-75/2014-6658 दिनांक 1.11.2014 द्वारा यह अवगत करवाया गया था कि मण्डी समिति सोलन में कार्यरत सफाई कर्मचारी बोर्ड/मंडी

					समितियों के लिए स्वीकृत कुल पदों के भीतर है।
4.	Peon/Chowkidar	7	8	परिशिष्ट के अनुसार कुल स्वीकृत 7 पदों के विरूद्ध 8 के वेतन की निकासी की जा रही थी।	**'परिशिष्ट–च'** के अनुसार

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से इनका नियमितिकरण करवा के अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) मण्डी समिति सोलन द्वारा अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुबन्ध का वार्षिक विस्तारण (annual extension) HPSAMB, Shimla द्वारा किया जाता है, परन्तु Letter No. Fin-F-(A)-(11) -11/2004, Govt. of Himachal Pradesh, Finance Department, (Expenditure Control-II) dated: 3rd June, 2014 के अनुसार, अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुबन्ध के वार्षिक विस्तारण हेतु, SOE No. 17 के अन्तर्गत वर्णित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ली जानी अपेक्षित है। मण्डी समिति द्वारा इस बारे चर्चा के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था कि पूर्व कई वर्षों से अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुबन्ध का वार्षिक विस्तारण बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित प्राधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरण लिया जाए तथा भविष्य में उसके अनुसार ही अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के वार्षिक विस्तारण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जानी सुनिश्चित की जाए।

(ङ) श्रीमति मंजीत ओसवाल के सेवानिवृत लाभों के बारे में

श्रीमती मंजीत ओसवाल दिनांक 31.5.2012 को मण्डी समिति, सोलन से सेवा निवृत हुई थी। पत्र संख्याः HMB-10-17/79-Vol-III-6755-60 दिनांक 1.8.2009 के अनुसार श्रीमती मंजीत ओसवाल को पूर्व में पत्र संख्याः HMB/10-17/79-Vol-II-4840-41 दिनांक 3.3.1993 द्वारा दिनांक 3.3.1993 से निलम्बित किया गया था तथा उसके पश्चात पत्र संख्याः HMB/10-17/79-Vol-II-1244 दिनांक 13.7. 1994 द्वारा उनके निलम्बन को बहाल किया गया था। उपरोक्त पत्र दिनांक 1.8.2009 के अनुसार निलम्बन की बहाली के पश्चात श्रीमती मंजीत ओसवाल द्वारा दिनांक 20.11.1995 को बोर्ड के कार्यालय में कार्य ग्रहण किया था। तत्पश्चात बोर्ड के उपरोक्त पत्र दिनांक 1.8.2009 के अनुसार दिनांक 3.3.1993 से 13.7.1994 तक उनकी निलम्बन की अवधि को all intents and purposes के लिए duty माना गया था तथा 14.7.1994 से 19.11.1995 तक की अवधि को all intents and purposes के लिए dies non माना गया था। इस सन्दर्भ में यह भी पाया गया कि श्रीमती मंजीत ओसवाल द्वारा पूर्व तिथियों से पदोन्नतियों दिए जाने तथा दिनांक 14.7.1994 से 19.11.1995 तक की dies non से सम्बन्धित अवधि को नियमित किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 10357/2012 केस बोर्ड के विरूद्ध किया गया था। बोर्ड द्वारा दिनांक 15.3.2013 को माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर देते हुए इस केस को

(devoit of merit) के आधार पर निरस्त करने हेतु आग्रह किया था। तत्पश्चात Govt. of Himachal Pradesh, Department of Agriculture के पत्र संख्याः Agr-B(13)-1/2011, दिनांक 10.5.2012 तथा पत्र संख्याः /agr-B(13)-1/2013 दिनांक 5.12.2013 द्वारा श्रीमती मंजीत ओसवाल का केस consider किये जाने तथा DPC review करने के आदेश पारित किए गए थे। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण में अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा श्रीमती मंजीत ओसवाल को दिनांक 1.10.1997 से Junior Scale Stenographer के पद पर तथा दिनांक 1.10.2007 से Personal Assistant के पद पर पदोन्नत कर दिया था तथा कार्यालय आदेश संख्याः HMB/10-17/79-Part-V-15699, दिनांक 1.3.2014 द्वारा उनकी पूर्व तिथियों से की गई पदोन्नतियों के फलस्वरूप उनके निर्धारित किए गए वेतन को वैटिंग हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा बोर्ड द्वारा श्रीमती मंजीत ओसवाल के dies non अवधि (14.7. 1994 से 19.11.1995 तक) को भी कार्यालय आदेश संख्याः HMB/10-17/79-Vol-V-10281 से 10287 दिनांक 19.12.2013 तथा corrigendum (Endst. No.) HMB/10-17/79-Vol-V-10622 दिनांक 27.12. 2013 द्वारा all intents & purposes के लिए डयूटी घोषित कर दिया था। इन दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात अंकेक्षण द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज करके दिनांक 18.3.2014 को इस केस को वापिस लौटा दिया था। बोर्ड द्वारा अंकेक्षण की उक्त आपत्तियों का उतर पत्र संख्याः HMB/10-17/79-Part-V-91, दिनांक 3.4.2014 द्वारा प्रस्तुत किया था जिसे संतोषप्रद न पाकर अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्याः 01, दिनांक 22.4.2014 जारी करके बोर्ड को इस केस से सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु पुनः अवगत करवाया था। अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण अधियाचना दिनांक 22.4.2014 में उठाई गई आपत्तियां संक्षेप में निम्न प्रकार से थी (i) श्रीमती मंजीत ओसवाल के पदोन्नतियों/सेवानिवृति लाभों से सम्बन्धित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, अतः इस प्रकरण का माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार निपटारा किया जाए। (ii) दिनांक 14.7.1994 से 19.11.1995 तक dies non की अवधि को बिना kind of leave स्वीकृत किया था, जोकि नियमानुसार (GIO (1) under FR 18) उचित नहीं था तथा इस dies non से सम्बन्धित अवधि का नियमितिकरण नियमानुसार Kind of leave due sanction करके किया जाए, (iii) बोर्ड के पत्र संख्याः HMB-10-17/79-V-91 दिनांक 3.4.14 के अनुसार dies non से सम्बन्धित अवधि 14.7.1994 से जुलाई/1995) के दौरान भुगतान की गई subsistence allowance से सम्बन्धित राशि की वसूली की जाए तथा (iv) श्रीमती मंजीत ओसवाल द्वारा Junior Scale Stenographer तथा Personal Assistant के पदों पर न कभी कार्य ग्रहण किया था तथा न ही इन पदों पर अपनी सेवायें दी थी, जिस कारण पूर्व तिथियों से पदोन्नतियों के फलस्वरूप इन पदों पर देय वेतन का निर्धारण पदोन्नतियों की तिथियों से सेवानिवृति तक notional basis पर किया जाए, परन्तु बोर्ड ने अंकेक्षण अधियाचना दिनांक 22.4.2014 के सन्दर्भ में अपने पत्र संख्याः HMB/10-17/79-Part-V-1540 दिनांक 2.6.2014 द्वारा संतोषजनक उतर न देकर उपरोक्त पत्र 3.4.14 द्वारा प्रस्तुत प्रतिउतर को ही अंकेक्षण आपत्तियों का उतर मानने के लिए कहा गया था तथा मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण

आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही सम्बन्धित भुगतान को पारित करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 4.10.2014 द्वारा कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। इसके फलस्वरूप दिनांक 29.10.2014 को मण्डी समिति द्वारा जो जानकारी उपलबध करवाई गई जोकि पूर्ण नहीं थी, फिर भी श्रीमती मंजीत ओसवाल की पूर्व तिथियों से पदोन्नतियों के फलस्वरूप वेतन निर्धारण पश्चात देय बकाया राशि से सम्बन्धित बिल की ₹3,57,145 को उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षण ने अधियाचना संख्याः 24, दिनांक 2.12.2014 मे उपरोक्त आपत्तियों (अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 22.4.2014 में वर्णित) दर्ज करके पारित कर दिया गया था, क्योंकि उक्त विपत्र को पारित करने हेतु मण्डी समिति द्वारा बार–बार अंकेक्षण पर दबाव बनाया जा रहा था। तत्पश्चात निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा भी बोर्ड को पत्र संख्याः फिन (एल0ए0)(एच)2(सी)(15)(14)30/76–खण्ड–9 –2384 दिनांक 15.5.2015 द्वारा अंकेक्षण आपत्तियों बारे अवगत करवाया था तथा उनका नियमानुसार निपटारा करने हेतु लिखा था, परन्तु अभी तक इनका निपटारा नहीं किया गया है। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण आपत्तियों का नियमानुसार शीघ्र निपटारा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(अ0स0–1 दिनांक 22.4.2014, अ0स0–13 दिनांक 4.10.14 तथा अ0स0–24 दिनांक 2.12.14)

(च) विपणन समिति, सोलन को हुई हानि की भरपाई न किए जाने बारे

श्री कुलवंत सिंह मण्डी समिति सोलन में दिनांक 17.7.2002 से अनुबन्ध पर हैल्पर के पद पर कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति/बोर्ड ने अब तक श्री कुलवंत सिंह को letter No. Fin-E-1-C)-(17)-6/08, Government of Himachal Pradesh, Department of Finance, dated Shimla-171002, 07 Jan, 2012 में (एक लाख से अधिक बकाया राशि का भुगतान पांच किश्तों में करने सम्बन्धी) दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एरियर की कुल ₹1,39,873 ₹55,950 (दो किश्तों, 27975x2) का भुगतान करने के साथ–साथ Principal Secretary (Personnel) to HP, Govt. Shimla-2 की पत्र संख्याः (AP)C-B(2)1/2014 दिनांक 7.5.2015 में दिए गए निर्देशानुसार उन्हें कार्यालय आदेश संख्या (Endst. No.) HMB(B)2-21/99-XIV-1253 दिनांक 12.5.2015 जारी कर दिनांक 14.5.2015 से मण्डी समिति सोलन में Assistant Auction Recorder के रिक्त पद के विरूद्ध 5910+20200+1900 के वेतनमान पर नियुक्त भी कर दिया है। श्री कुलवंत सिंह के अनुसार उनसे दिनांक 17.7.2002 से हैल्पर के स्थान पर 'Auction Recorder" का कार्य लिया गया था। बोर्ड के order no. (endorsement) HMBILC-CWP-7038 of 2010) 107/10-4665, dated 25/8/24 के अनुसार श्री कुलवंत सिंह ने स्वयं को 'Auction Recorder" बनाये जाने की मांग अपने पत्र दिनांक 20.4.2010 द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी थी, परन्तु बोर्ड द्वारा annexure P-8 (पत्र दिनांक 30.6.2010) जारी करके उनकी यह मांग नहीं मानी थी। इस कारण श्री कुलवंत सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 में केस (CWP No. 7038)

दायर किया था, जिसमें उन्होंने उन्हें 'Auction Recorder" लगाये जाने, (annexure P-8, जिसमे बोर्ड ने उन्हें 'Auction Recorder" लगाये जाने का आग्रह नहीं माना था) को रद्द किए जाने बारे, दिनांक 17.7.2002 से हैल्पर तथा 'Auction Recorder" के पद की wages दिए जाने हेतु तथा उन्हें 'Auction Recorder" के पद पर नियमित किए जाने हेतु आग्रह किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.3.2014 को फैसला जारी करते हुए annexure P-8 को रद्द कर दिया था तथा साथ ही श्री कुलवंत सिंह की request मानने का आदेश पारित किया था। इस सन्दर्भ में बोर्ड द्वारा अपने office order no. (endorsement) HMB(LC-CWP-7038 of 2010) 107/10-4665, dated 25-8-14 (read with corrigendum (endorsement) no. HMB (LC-CWP-7038 of 2101)107/10-4829, dated 28-8-2014 and office order no. HMB(LC-CWP-7038 of 2101) 107/10-5465 dated 19-9-2014) के अनुसार श्री कुलवंत सिंह से Assistant Auction Recorder का काम लिया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तथा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने श्री कुलवंत सिह को दिनांक 27.7.2007 से 24.8.2014 Assistant Auction Record तथा हैल्पर के अनुबन्ध वेतन के अन्तर का arrear जारी करने के साथ–साथ पत्र संख्याः HMB(B)8-5/2007-7195 dated 21-11-2014 जारी करके दिनांक 25.8.2014 से उनके अनुबन्ध का हैल्पर के स्थान पर Assistant Auction Recordके तोर पर विस्तार करने हेतु आदेश जारी कर दिए थे, परन्तु बोर्ड के office order no. (endorsement) HMB(LC-CWP-7038 of 2010) 107/10-4665 dated 25-8-2014 की क्रम संख्या 4 पर यह भी लिखा गया था कि श्री कुलवंत सिंह की नियुक्ति हैल्पर के पद पर करते समय सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।
(अ0स0–19, दिनांक 27.10.14)

अतः उपरोक्त प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कुलवंत सिंह से यदि केवल हैल्पर का ही कार्य लिया गया होता, तो वर्तमान स्थिति से बचा जा सकता था तथा मण्डी समिति के कोष को होने वाली वित्तीय हानि से भी बचाया जा सकता था। इस प्रकार वर्तमान स्थिति द्वारा श्री कुलवंत सिंह से हैल्पर का काम न लेकर Assistant Auction Recorder के पद से सम्बन्धित कार्य करवाने से उत्पन्न हुई है, परन्तु इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्री कुलवंत सिंह को Assistant Auction Recorder के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त करने तथा उन्हें बकाया राशि का भुगतान करते समय Letter No. Fin-F-(A)-(11)-5/2004, Government of Himachal Pradesh, Finance Department, (Expenditure Control-II) dated 30 June, 2012 मे दिए गए निर्देशों के अनुसार, इस कारण मण्डी समिति सोलन के कोष को हुई हानि का उतरदायित्व सक्षम प्राधिकारी का निर्धारित करके, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से इसकी भरपाई करनी चाहिए थी, जोकि नहीं की गई। इसके विपरीत बोर्ड द्वारा पत्र संख्याः HMB(LC-CWP-7038 of 2101) 107/10-8476 dated 20-12-2014 (endorsement No. A/SMC-2/117/06-80 dated 6-1-2015 के अन्तर्गत इस प्रकरण में मण्डी समिति

कोष को हुई हानि की भरपाई हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने को अमुख्य (secondary) मुदा बताया था तथा उपरोक्त पत्र दिनांक 30.6.2012 में दिए गए निर्देशों अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की थी, जोकि इन निर्देशों का स्पष्ट उल्लंधन है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए बोर्ड द्वारा श्री कुलवंत सिंह को दिनांक 26.10.2007 से दिए गए एरियर बिल ₹1,39,873 (बिल संख्याः 298, दिनांक 13.10.14) को अंकेक्षण द्वारा इस शर्त पर पारित किया गया कि उक्त ₹1,39,873 के अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में मण्डी समिति कोष को हुई अन्य हानि की गणना अपने स्तर पर करके, इस प्रकरण में कुल राशि की वसूली Letter No. Fin-F-(A)-(11)-5/2004, Government of Himachal Pradesh, Finance Department, (Expenditure control-II) dated, 30 June, 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

23 वाहन संख्याः HP-12A-0006 की लॉग बुक के रख–रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में

(क) उक्त वाहन के डीजल के क्रय से सम्बन्धित बिल संख्याः 213, दिनांक 19.8.2014 ₹2000 के अंकेक्षण के दौरान वाहन की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन की मासिक औसत की गणना नहीं की जा रही थी, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर वाहन चलाया गया था, उन स्थानों की प्रविष्टियाँ भी लॉग बुक में स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी, जिस कारण वाहन द्वारा तय की गई दूरी की पुष्टि नहीं हो सकी। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि मण्डी समिति में चालक का पद रिक्त था, परन्तु फिर भी उक्त वाहन चलाया जा रहा था जोकि use & maintenance of Govt. vehicles में दिए गए निर्देशों को स्पष्ट रूप से उल्लंधन है तथा इस से जो अधिकारी इस वाहन को चलाता है न केवल उसे अपितु मण्डी समिति की सम्पति को भी खतरा हो सकता है। मण्डी समिति को उपरोक्त अनियमितताओं बारे अधियाचना संख्याः 7 दिनांक 28.8.2014 द्वारा अवगत करवाया था, जिसके उत्तर में मण्डी समिति द्वारा अपनी पत्र संख्याः A/SMC-1-55/2001-1-3203 दिनांक 15.9. 2014 द्वारा वाहन की औसत बारे तथा इस तथ्य से अवगत करवाया था कि केवल आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन को सचिव द्वारा स्वयं या मुफ्त में hire किये गए चालक द्वारा जिसके पास valid licence था, से चलवाया गया था। इस प्रकार वाहन को स्वयं चलाना तथा चालक को hire करके चलवाना उचित नहीं है तथा use & maintenance of Govt. vehicles में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाहन को नियमानुसार विभाग में नियुक्त किए गए चालक द्वारा ही चलाया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताएं उच्चाधिकारियों के ध्यान में भविष्य में उनकी पुनरावृति रोकने हेतु लाई जाती है।

(अ0स0 07, दिनांक 28.8.2014)

(ख) वाहन संख्याः HP-12A-0006 की 4/2014 से 3/2015 की लॉग बुक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई आपत्तियों के बारे में

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार वाहन की औसत दो बार निर्धारित की गई थी, एक बार 10.50 कि0मी0/लीटर तथा दूसरी बार 10 कि0मी0/लीटर। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मासों में वाहन की औसत निर्धारित औसत से कम पाई गई, जिस कारण निम्नानुसार मण्डी समिति के कोष को ₹5288 की हानि हुई है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹5288 की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Month	Average Fixed	Average given by the vehicle	Kms travelled	Diesel consumed (liters)	Quantity of diesel which should have been consumed (liters)	Excess diesel consumed (a)	Rate of diesel (approx) (Rs) (b)	Amount (Rs.) (axb)
11/13	10	9.56	1575	164.78	157.50	7.28	52	379
12/13	10	8.19	643	78.49	64.30	14.19	53	752
04&05/14	10	7.97	1697	213	169.7	43.30	55	2382
9/14	10	7.67	468	61	46.80	14.20	58	824
3/15	10	9.35	2380	254.40	238.00	16.40	58	951
							Total	**5288**

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन की मासिक आधार पर औसत नहीं निकाली गई थी। कई बार वाहन की औसत प्रति माह न निकाल कर दो मासों में एक बार निकाली गई थी, जोकि उचित नहीं है। यह भी पाया गया कि नियमों के अनुसार न तो प्रत्येक मास के अन्त में वाहन की औसत बारे वांछित प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे तथा न ही उनके अनुसार वाहन की औसत की गणना की जा रही थी। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इन अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनके बारे में अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Month	Average fixed	Actual average of the Vehicle
11/13	10	9.56
12/13	10	8.19
1/14	10	11.41
2 & 3/14	10	16.34
4&5/14	10	7.97
6&7/14	10	15.84
8/14	10	11.08
9/14	10	7.67
10/14	10	13.28
11/14	10	14.07
12/14	10	10.67

1/15	10	15
2/15	10	13.99
3/15	10	9.35

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वाहन द्वारा तय दूरी इन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी से अधिक प्रतीत होती है। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निजी यात्राओं के लिए निर्धारित सरकारी दरों के अनुसार अधिक दर्शाई गई दूरी की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Date	Purpose	Distance covered (kms)	Actual distance (kms) (approximately)	Excess distance travelled
24-12-14	Inspection of site for the c/o collection center market yard at Waknaghat	92 km	55 km (Kather to Waknahat & back)	37 km
26-12-14	Inspection of market yard at Jagjit nagar	108 km	90 km (Kather to Jagjit nagar & back)	18 km
27-12-14	Inspection of shops at Sadhupul	82 km	60 km (Kather to sadhupul & back)	22 km
29-12-14	Selection of site for apple market	91 km	55 km (Kather to Kyari Bangla & back)	36 km
6-1-15	Meeting with traders at Rajgarh	178 km	95 km (Kather to Rajgarh & back)	83 km
22-1-15	Meeting with farmers at Arki	143 km	120 km (Kather to Arki & back)	23 km
23-12-14	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
31-12-14	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
2-1-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
14-1-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
8-2-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
4-3-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
11-3-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
17-2-15	Kather to Chmbaghat filling station & back	10 km	6 km	4 km
			Total	**251 kms**

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों को वाहन के उपयोग का उदेश्य (कार्यालय सम्बन्धी या निजि) लॉग बुक में लिखा नहीं पाया गया। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए। इसके अलावा निम्नविवरणानुसार जिन तिथियों में वाहन का उपयोग विभिन्न स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी से अधिक किया गया है तथा जिन तिथियों को वाहन के उपयोग का उद्देश्य बोर्ड के पत्र संख्याः HMB/OS(2)-13/96-2254- दिनांक 7.3.2007 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है, उन दूरियों (distances) की गणना मण्डी समिति अपने स्तर पर की जाए तथा इसके फलस्वरूप इस कुल दूरी की निजी यात्राओं के लिए निर्धारित सरकारी दरों के अनुसार उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में लॉग बुक के सभी स्तम्भों (Columns) को भरे जाने के साथ–साथ वाहन का उपयोग समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10-6-14(28 km), 30-8-14(102km), 17-9-14(185km), 13-10-14(10km), 27-10-14 (108km), 29-10-14 (110km), 1-11-14(106 km), 19-11-14 (106km), 24-11-14 (137km), 29-11-149(112km), 30-11-14(117km), 1-12-14(49km), 12-12-14(164km), 15-12-14 (49km), 22-12-14(242km), 30-12-14(167km), 12-1-15(135km), 20-1-15(96km), 26-1-14(98km), 27-1-15(103km), 31-1-15(147km) & 29-3-15(118km).

(v) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि दिनांक 23.12.2014 का कथेड से चम्बाघाट तथा वापिस कथेड तक वाहन को 10 कि0मी0 चलाया गया दर्शाया गया था, परन्तु वाहन की मीटर रीडिंग के अनुसार वाहन 100 कि0मी0 (13779–13679) चलाया गया था तथा इसके अनुसार दिनांक 23.12.2014 को वाहन 90 कि0मी0 (100–10) अधिक चला था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक तय की गई दूरी (90 कि0मी0) की निजी यात्राओं के लिए निर्धारित सरकारी दरों पर उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(अ0स0 33, दिनांक 8-3-2015)

24 सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारे

(क) वर्ष 2014–15 के दौरान विपणन समिति सोलन द्वारा नीलामी की प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का आबंटन किया गया था। दुकानों के किये गए आबंटन बारे पत्र संख्याः A/SMC-3-III/94-Vol-6-3043, 3046, 3049, 3052, 3055, 3058, 3061, 3064, 3067, 3038 दिनांक 26.8.2014 तथा A/SMC-3-228/2001-3088, दिनांक 1.9.2014 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया था। अंकेक्षण द्वारा दुकानों के आबंटन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना द्वारा अवलोकन हेतु मांगे थे, जोकि प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ यह सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पत्रों में सम्मिलित दुकानों के

साथ यदि वर्ष 2014–15 में कोई अन्य किसी भी प्रकार दुकान/हॉल/स्थान आदि का आबंटन किया गया हो तो उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख भी प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(अ0स0 12, दिनांक 30.9.2014)

(ख) मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹1,58,861 का व्यय बैटरी में निर्मित collection center के निर्माण हेतु किया गया दर्शाया गया था। इस कार्य का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा डिपोजिट वर्कस के अन्तर्गत करवाया गया था तथा इस निर्माण कार्य के उपायोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार ₹4,58,861 का व्यय किया गया था। इस प्रकार मण्डी समिति के अनुसार निर्माण कार्य पर किया गया ₹3,00,000 का अतिरिक्त व्यय बोर्ड ने इस निर्माण कार्य हेतु प्राप्त ग्रांट में से किया था तथा शेष ₹1,58,861 का व्यय बोर्ड द्वारा मण्डी समिति के पैसे से किया था। चर्चा के दौरान मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया था कि collection centers का निर्माण कार्य बोर्ड द्वारा इस हेतु प्राप्त अनुदान की राशि में से किया गया है तथा निर्माण कार्य पर अनुदान राशि से जितना भी अधिक व्यय आता है वह मण्डी समिति द्वारा देय होता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा मौखिक तथा लिखित रूप से मण्डी समिति से collection centers के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदण्ड (norms) मनन हेतु मांगे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मण्डी समिति कोष से किया गया ₹1,58,861 का व्यय निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत ही किया गया था, परन्तु मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित मापदण्ड उपलब्ध न करवाए जाने के कारण collection centers के निर्माण पर मण्डी समिति कोष से किया गया ₹1,58,861 का व्यय उन मापदण्डों के अन्तर्गत करवाए जाने से सम्बन्धित तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(अ0स0 32, दिनांक 12.2.16)

(ग) मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.3.2015 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है जिसकी अनुपस्थिति में अदत मण्डी शुल्क की राशि का आंकलन नहीं किया जा सकता है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र मण्डी समिति सोलन व अन्य उप मण्डी समितियों की दिनांक 31.3.2015 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। **(अ0स0–32, दिनांक 12.2.16)**

(घ) अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन तथा अनुपयोगी वस्तुओं की सूचि मांगी गई थी, जोकि प्रस्तुत नहीं की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ही नहीं करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रैगुलेशन) की अधिसूचना संख्याः फिन(सी)ए(3)5/2005 शिमला–171002 दिनांक 12.8.2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में किया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण (disposal) नही किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ वर्ष 2014–2015 के तुलन पत्र में दर्शाई गई विभिन्न चल और अचल सम्पतियों में से जो वस्तुऐं उपयोग योग्य नहीं है उसकी सूची तैयार करके उनकी नीलामी हेतु आगामी कार्यवाही की जाए तथा इस विषय में कृत आवश्यक कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। **अ0स0 32, दिनांक 12.2.16**

25 विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किए जाने बारे

मण्डी समिति के विभिन्न रजिस्टरों को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था। अतः मण्डी समिति के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर Inventory No. लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

26 लघु आपति विवरणीः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

27 निष्कर्ष :–मण्डी शुल्क की समय पर एवं विहित प्रावधानानुसार वसूली हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की, दुकानों के किराये के बकाया राशि की वसूली करने हेतु तथा देय प्रतिभूति के अन्तर के मिलान बारे उचित पग उठाए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)40/76–खण्ड–10–6304–6307, दिनांकः30.11.2016 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत **1.** सचिव, कृषि उपज समिति सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें व तदानुसार इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला–171002

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क'' पैरा संख्याः 1(घ) से सन्दर्भित)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1.	पैरा 6	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1.	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

1.	पैरा 11	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 16	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 14(1)(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 15(क,ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 17	अनिर्णीत
5.	पैरा 18	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 29(1,2,4)	अनिर्णीत
3.	पैरा 31	अनिर्णीत
4.	पैरा 41	अनिर्णीत
5.	पैरा 42	अनिर्णीत
6.	पैरा 43	अनिर्णीत
7.	पैरा 44	अनिर्णीत
8.	पैरा 45	अनिर्णीत
9.	पैरा 46	अनिर्णीत
10.	पैरा 48	अनिर्णीत
11.	पैरा 53	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2003

1.	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 14	अनिर्णीत
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 21	अनिर्णीत
5.	पैरा 35	अनिर्णीत
6.	पैरा 41	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 10(ख,ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 17	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 13	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 5	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत

3. पैरा 8 अनिर्णीत
4. पैरा 9 अनिर्णीत
5. पैरा 10(ज) अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1. पैरा 5(2) अनिर्णीत
2. पैरा 6 अनिर्णीत
3. पैरा 7 अनिर्णीत
4. पैरा 8 अनिर्णीत
5. पैरा 10 अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1. पैरा 6 अनिर्णीत
2. पैरा 7 अनिर्णीत
3. पैरा 8 अनिर्णीत
4. पैरा 9 अनिर्णीत
5. पैरा 10 अनिर्णीत
6. पैरा 11 अनिर्णीत
7. पैरा 12 अनिर्णीत
8. पैरा 13 अनिर्णीत
9. पैरा 14 अनिर्णीत
10. पैरा 15 अनिर्णीत
11. पैरा 16 अनिर्णीत
12. पैरा 18 अनिर्णीत
13. पैरा 20 अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1. पैरा 6 अनिर्णीत
2. पैरा 8 अनिर्णीत
3. पैरा 9 अनिर्णीत
4. पैरा 12 अनिर्णीत
5. पैरा 13 अनिर्णीत
6. पैरा 14 अनिर्णीत
7. पैरा 16 अनिर्णीत
8. पैरा 17 अनिर्णीत
9. पैरा 18 अनिर्णीत
10. पैरा 19 अनिर्णीत
11. पैरा 20 अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1 पैरा 3(ग) अनिर्णीत
2. पैरा 3(घ) अनिर्णीत
3. पैरा 3(ड़) निर्णीत (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 में निर्णीत)
4. पैरा 3(च) अनिर्णीत
5. पैरा 3(छ) अनिर्णीत
6. पैरा 3(ज) अनिर्णीत
7. पैरा 3(झ) निर्णीत (पैरे को वर्ष 2011–12 में पुनः प्रारूपित किया गया)
8. पैरा 3(ञ) अनिर्णीत
9. पैरा 6 अनिर्णीत
10. पैरा 7 अनिर्णीत
11. पैरा 8 अनिर्णीत
12. पैरा 9 अनिर्णीत
13. पैरा 10 अनिर्णीत

14.	पैरा 11	अनिर्णीत	
15.	पैरा 12	अनिर्णीत	
16.	पैरा 13	अनिर्णीत	
17.	पैरा 15	अनिर्णीत	
18.	पैरा 16	अनिर्णीत	
19.	पैरा 17	अनिर्णीत	
20.	पैरा 18	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 8	अनिर्णीत	
2.	पैरा 11	अनिर्णीत	
3.	पैरा 12	अनिर्णीत	
4.	पैरा 14	अनिर्णीत	
5.	पैरा 16	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 में पुनः प्रारूपित किया गया)
6.	पैरा 17	अनिर्णीत	
7.	पैरा 18	अनिर्णीत	
8.	पैरा 19	अनिर्णीत	
9.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 21	अनिर्णीत	
12.	पैरा 22	अनिर्णीत	
13.	पैरा 25	अनिर्णीत	

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 5	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2013–14 में पुनः प्रारूपित किया गया)
2.	पैरा 6	अनिर्णीत	
3.	पैरा 7	अनिर्णीत	
4.	पैरा 9	अनिर्णीत	
5.	पैरा 10(क,ख,ग)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2013–14 में पुनः प्रारूपित किया गया)
6.	पैरा 11(क,ख)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2013–14 में पुनः प्रारूपित किया गया)
7.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 12	अनिर्णीत	
9.	पैरा 13	अनिर्णीत	
10.	पैरा 14	अनिर्णीत	
11.	पैरा 15	अनिर्णीत	
12.	पैरा 16	अनिर्णीत	
13.	पैरा 17	अनिर्णीत	
14.	पैरा 18	अनिर्णीत	
15.	पैरा 19	अनिर्णीत	
16.	पैरा 20	अनिर्णीत	
17.	पैरा 21	अनिर्णीत	
18.	पैरा 22	अनिर्णीत	
19.	पैरा 23	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2013–14 में पुनः प्रारूपित किया गया)
20.	पैरा 24	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1.	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹1349897 की प्राप्ति के सत्यापनोपरान्त)
2.	पैरा 4(क)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2014–15 में पुनः प्रारूपित किया गया)
3.	पैरा 4(ग)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
4.	पैरा 4(घ)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2014–15 में पुनः प्रारूपित किया गया)
5.	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 5	अनिर्णीत	

7.	पैरा 6(क,ख)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 7	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2014–15 में पुनः प्रारूपित किया गया)
9.	पैरा 8	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एंव आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
10.	पैरा 9	अनिर्णीत	
11.	पैरा 10	अनिर्णीत	
12.	पैरा 11	अनिर्णीत	
13.	पैरा 12	अनिर्णीत	
14.	पैरा 13	अनिर्णीत	
15.	पैरा 14	अनिर्णीत	
16.	पैरा 15	अनिर्णीत	
17.	पैरा 16	अनिर्णीत	
18.	पैरा 17	अनिर्णीत	
19.	पैरा 18	अनिर्णीत	
20.	पैरा 19	अनिर्णीत	
21.	पैरा 20	अनिर्णीत	
22.	पैरा 21	अनिर्णीत	
23.	पैरा 22	अनिर्णीत	
24.	पैरा 23	अनिर्णीत	
26.	पैरा 24	अनिर्णीत	
27.	पैरा 25	अनिर्णीत	
28.	पैरा 26	अनिर्णीत	
29.	पैरा 27	अनिर्णीत	
30.	पैरा 28	अनिर्णीत	
31.	पैरा 29	अनिर्णीत	
32.	पैरा 30	अनिर्णीत	
33.	पैरा 31	अनिर्णीत	
34.	पैरा 32	अनिर्णीत	
35.	पैरा 33	अनिर्णीत	

1.	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनिर्णीत पैरे	157
2.	(+) वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे	22
3.	(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	13
	(दिनांक 31.3.2015 तक) अन्तशेष	**166**